



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

42AA 379721

वाराणसी खण्ड स्नातक मिर्चियन  
प्रत्यासी लोकेश कुमार की तरफ  
से शपथ पत्र के साथ मंगलन  
प्रारूप 26 शपथ पत्र का ही भाग  
है।



Lokesh Kumar

9602  
6-09-2020

श्री) श्री नरेश कुमार

नर अलमारी धुल सड़कानु डीए

मालुललुलु

**OM PRAKASH**  
Stamp Vender Call. VNS.  
L.No.-110/142/96

मालुललुलु  
मालुललुलु  
मालुललुलु  
मालुललुलु

"प्ररूप-26  
(नियम 4क देखिए)



.....वाराणसी स्वयं स्नातक.....निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.....विधान परिषद.....(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग - क

में लोकेश कुमार \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी राजेश प्रसाद आयु 40  
वर्ष, जो सरकारी पुरा महुआडीह वाराणसी (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हैं और उपरोक्त निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हैं/करती हैं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हैं/करती हैं :-

(1) मैं भारतीय जन जन पार्टी ("राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / "एक स्वतंत्र अभ्यर्थी" के रूप में लड़ रहा/रही हैं।

("जो लागू न हो उसे काट दें")  
(2) मेरा नाम वाराणसी स्वयं स्नातक उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 270

के क्रम सं० 659 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9415383873 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और shukla.lakesh28@gmail.com

मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित हैं/हैं।

(i) 9415383873.....

(ii) लागु नहीं.....

(iii) लागु नहीं.....

(4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्र० सं०	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिये आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूप में)
1	स्वयं	BABPS8311Q	2019-2020	(i) 3,57,600 (ii) लागु नहीं (iii) लागु नहीं (iv) लागु नहीं (v) लागु नहीं
2	पति या पत्नी	AZEPD9860C	लागु नहीं	(i) लागु नहीं (ii) लागु नहीं (iii) लागु नहीं (iv) लागु नहीं (v) लागु नहीं
3	हिन्दू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागु नहीं	लागु नहीं	(i) लागु नहीं (ii) लागु नहीं (iii) लागु नहीं (iv) लागु नहीं (v) लागु नहीं




Lokesh Kumar

4	आश्रित -1	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं
				(ii) लागू नहीं
				(iii) लागू नहीं
				(iv) लागू नहीं
				(v) लागू नहीं
5	आश्रित -2	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं
				(ii) लागू नहीं
				(iii) लागू नहीं
				(iv) लागू नहीं
				(v) लागू नहीं
6	आश्रित -3	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं
				(ii) लागू नहीं
				(iii) लागू नहीं
				(iv) लागू नहीं
				(v) लागू नहीं

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

#### (5) लंबित आपराधिक मामले



मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारिणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

#### सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा ..... )	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

#### (6) दोषसिद्धि के मामले

Lobesh Kumar

- (i) किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)
- या
- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प
- (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा .....)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है।	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(च)	अधिरोपित दंड	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें।	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए विवरण के अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

(ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5 (i) और पैरा 6 (i) में की प्रविष्टियों को देखते हुये, स्पष्ट रूप से "लागू नहीं होता है", लिखना चाहिए)

टिप्पणः

- समस्त विवरण स्पष्ट व सुपठित बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
- प्रत्येक मामले (Case) हेतु प्रत्येक मद के सापेक्ष दिये विभिन्न कॉलम में अलग-अलग विवरण दिया जाना है।
- ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के संबंध में विवरण क्रमानुसार दिया जाए।
- यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
- अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।"

(7) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

Lobayh Kumoy

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2-जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंध पत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।


टिप्पण 4-"आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।"

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

टिप्पण 6- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंको और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत है:

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	50,000/-	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे, (नियत जमा, आवधिक जमा, और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	11,000/- सेवा खाता	2,00,000/- सेवा खाता	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vi)	मोटरयान वाहन/ वायुयान/ याच/ पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	प्रोसा 2010 60,000	रु 20 60,000	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



Lokesh Kumar

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	स्वयं आश्रित-1	पति या पत्नी आश्रित-2	हिंदू अविभक्त कुटुंब आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(ix)	सकल कुल मूल्य	500000	500000	आश्रित-1	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क्षेत्र (एकड में कुल माप)	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	विकास, संनिर्माण आदि के साध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	अनुमानित निर्माण बाजार मूल्य	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3



Lobesh Kumar

(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागु नहीं					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागु नहीं					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागु नहीं					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागु नहीं					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागु नहीं					
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागु नहीं					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागु नहीं					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)- अवस्थिति (अवस्थितियों)- सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागु नहीं					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागु नहीं					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागु नहीं					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागु नहीं					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागु नहीं					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागु नहीं					
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागु नहीं					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागु नहीं					

Lobesh Kumar

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागु नहीं					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागु नहीं					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागु नहीं					
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	लागु नहीं					
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागु नहीं					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागु नहीं					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागु नहीं					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागु नहीं					
(v)	अवस्था (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	लागु नहीं					
(vi)	पूर्वोक्त (v) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागु नहीं					

(8) मैं निम्न वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	50000 बकाया 15000 बकाया 45000	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

Lobh Kumar

	पूर्वोक्त वर्णित से गिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	
	कोई अन्य दायित्व	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	
	दायित्वों का कुल योग	50000/-	लागु नहीं					
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं?</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात:-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता:- लागु नहीं</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददै कोई शोध्य संदेय नहीं है:- (क) भाटक, (ख) विद्युत प्रभार, (ग) जल प्रभार, और</p> <p>(घ) .....(तारीख) को टेलीफोन प्रभार</p> <p>(तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए)</p> <p>टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>					हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही निशान लगाएं)	लागु नहीं
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	



Lobesh Kumar

		स्वयं	पति/पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(v)	जीएसटी शोध	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vi)	नगरपालिका / सम्पत्ति कर शोध	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vii)	कोई अन्य शोध	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(viii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हो

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है

(10) गेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिए अनुसार है:-


2002-2003 परास्नातक, 2004-2005 पी.एच.डी. एरिचन्द्र महाविद्यालय  
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय /  
विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें  
पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

Lobh Kumar

भाग - ख

(11) भाग - क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री/श्रीमती/कु. लोकेश कुमार				
2	डाक का पूरा पता		राजस्थानी पुरा, मकुआडीह, बाराणसी				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		कदापली स्नातक प्रविद्यन उत्तर प्रदेश				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)		भारतीय जनता पार्टी				
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या		लागू नहीं				
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।		लागू नहीं				
7		स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है			कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	BABPSR3110	वर्ष 2019-2020	557,600			
	(ख) पति या पत्नी	AZEPD98607	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
	(घ) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में ब्यौरे						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-						
	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	दायित्व						
i	सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	15,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



Lohesh Kumar

10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं।					
i	सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं				
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं				
11.	<b>उच्चतम शैक्षणिक अर्हता:</b> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

**सत्यापन**

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 10/11/20 को सत्यापित किया गया।

**Lobesh Kumar**  
अभिसाक्षी

- टिप्पण: 1.** शपथ पत्र, नामांकन फाईल करने के अंतिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2.** शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3.** सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4.** शपथ पत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण: 5.** शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।



(विधि मंत्रालय के अधिसूचना सं० एच-11019/04/2018-विधि-11 दिनांक 10.10.2018 और सं० एच-11019/13/2016-विधायी 2 दिनांक 26.02.2019)

Notary Public, Government of India  
 The contents of this affidavit were read over to the deponent and he declared the matter to be true.  
**K. SINGH**

**K. SINGH**  
 10/11/20